भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1834
दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राज्यों में पेयजल की आपूर्ति

1834. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य, विशेषकर सिक्किम राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की वर्तमान आवश्यकता और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य सहित देश में सभी बस्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पेयजल मिल रहा है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) देश में अपेक्षित मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत न्यूनतम सेवा सुपुर्दगी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पेयजल स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसे उच्चतर स्तर तक बढ़ा सकते हैं। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%)

ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 12.03.2025 तक, लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 12.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.52 करोड़ (80.15%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। पूर्वोत्तर के राज्यों (सिक्किम राज्य भी) के विवरण सहित ब्यौरा जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड का लिंक निम्नानुसार है:-

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

सिक्किम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नामची और पाक्योंग जिले के शुष्क पट्टी क्षेत्र में कुछ बसावटों को छोड़कर सभी बसावटों को जल की कम उपलब्धता वाले मौसम के दौरान भी राज्य में पर्याप्त पेयजल मिल रहा है।

जल की कम उपलब्धता वाले मौसम के दौरान शुष्क पट्टी वाले क्षेत्रों में पेयजल की कमी का कारण स्थानीय स्रोतों का सूख जाना है। सिक्किम राज्य की इन क्षेत्रों में धारा विकास जैसे स्रोत स्थायित्व उपाय शुरू करने की योजना है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सहित जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण एवं कार्यदक्ष प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए, जल जीवन मिशन (जेजेएम), एक केंद्र प्रायोजित योजना, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से लागू की जा रही है।

जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। तथापि, उनके प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधन के स्थायी विकास तथा कार्यदक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2019 में शुरू किए गए तथा बाद में 2021-2024 में भी लागू किए गए जल शक्ति अभियान (जेएसए) और अटल भूजल योजना, आदि जैसे अभियानों के माध्यम से पानी के प्राकृतिक स्रोतों के नवीकरण के निरंतर प्रयासों के अलावा जलाशयों के निर्माण के माध्यम से भी पानी की भंडारण क्षमता को बढ़ाया गया है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023, जेएसए के विषय की श्रृंखला में चौथा स्थान "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" था। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2024 का विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति" था, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देता है।

*****